न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
बबूलाल वगै0 बनाम भूमिधारी वगै0
प्रा0 पत्र सं0— 14 / 2025
जीसीएमएस— 2025 / 481

08/08/25 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम रींगस स्थित भूमि खसरा नं0 5598 रकबा 0.45 हैक्टे0, 5610 रकबा 0.44 हैक्टे0, 5606/1 रकबा 0.45 हैक्टे0, 5613 रकबा 0.27 हैक्टे0, 5616 रकबा 0.35 हैक्टे0 5623 रकबा 0.44 हैक्टे0 की खातेदारी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा पक्षकारान के नाम है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमियों का तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत आदेश जारी करवाकर दिनांक 10.06.2025 को सीमाज्ञान करवाया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2025 पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2025 राजस्व नक्शा, जमाबन्दी की सत्यापित प्रतियां पेश की है। पत्रावली में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण व प्रफोर्मा पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रींगस को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रींगस स्थित भूमि खसरा नं0 खसरा नं0 5598 रकबा 0.45 हैक्टे0, 5610 रकबा 0.44 हैक्टे0, 5606/1 रकबा 0.45 हैक्टे0, 5613 रकबा 0.27 हैक्टे0, 5616 रकबा 0.35 हैक्टे0 5623 रकबा 0.44 हैक्टे0 की प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 10.06.2025 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने, बेदखल करने की कार्यवाही नही की जावें। पत्थरगढ़ी की आड़ में किसी भी प्रकार का प्रचलित रास्ता बन्द नही किया जावें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त कर लेवें। तहसीलदार रींगस को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद [illegible] शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
[illegible] निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.13 12:07:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)